तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
6-7-23	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रा०पत्र आ० 144 cpc पर बहस सुनी गई। उक्त पक्षकार उपस्थित प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष व पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने पर सहमति दी गई। उक्तानुसार वाद का निस्तारण किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बूंदी)	जारी 21/7/23 [illegible] [signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज०

16 / दावा / 2022

पीठासीन अधिकारी
श्री रामकुमार वर्मा (RAS)

बउनवान

1. तस्वीर बाई बेवा श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी पाली मजरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज० जर्ये मुख्तार खास बजरंग लाल आत्मज श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज० मृतक तस्वीर बाई कायम मुकाम
   1/1 महावीर पुत्र बजरंग लाल
   1/2 रामस्वरूप पुत्र बजरंग लाल
   1/3 कैलाशी पुत्री बजरंग लाल पत्नी राजमल
   समस्त जातिगण मीणा निवासी माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

—वादी

बनाम

1. जगदीश पि०मु० मांगी लाल आत्मज लड्डू जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज०
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

—प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर०टी०एक्ट
उपस्थितः— 1.श्री अब्दुल सत्तार (एडवोकेट) वादिनी
2 श्री महेन्द्र रेबारी (एडवोकेट) प्रतिवादी

निर्णय दिनांक—6.07.2023

वादीनी ने जरिये मुख्तार खास बजरंग लाल आत्मज भैरूलाल द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद—पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 236 रकबा 0.02 हैक्ट०, खसरा सं. 237 रकबा 1.38 हैक्ट., खसरा सं. 252 रकबा 0.02 हैक्ट., खसरा सं. 253 रकबा 0.26 हैक्ट., खसरा सं. 255 रकबा 0.31 हैक्ट., खसरा संख्या 825 रकबा 1.24 हैक्ट०. किता 6 कुल योग रकबा 3.23 हैक्ट० व खसरा सं. 233 रकबा 0.14 हैक्ट., खसरा सं. 234 रकबा 0.19 हैक्ट., खसरा सं. 235 रकबा 0.09 हैक्ट., खसरा सं. 257 रकबा 0.15 हैक्ट., खसरा सं. 278 रकबा 0.09 हैक्ट., खसरा सं. 281 रकबा 0.20 हैक्ट., खसरा सं. 317 रकबा 0.31 हैक्ट., खसरा सं. 875 रकबा 0.15 हैक्ट.,

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

खसरा सं. 876 रकबा 1.20 हैक्ट., खसरा स. 881 रकबा 0.09 हैक्ट., खसरा सं. 882 रकबा 0.32 हैक्ट., किता 11 कुल योग रकबा 2.93 हैक्ट., कुल किता 17 योग रकबा 6.16 हैक्ट. कृषि भूमि वाके ग्राम पाली बसवाड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। वाद वर्णित भूमि वादीनी के स्वर्गीय पति मांगीलाल आत्मज सीताराम जाति मीणा निवासी पाली के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। मांगीलाल की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 ने मांगीलाल का गोद पुत्र बताते हुए अवैधानिक तरीके से हिस्सा 1/2 पर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया गया। वादीनी द्वारा वाद वर्णित आराजी से प्रतिवादी सं. 1 का नाम विलोपित किये जाने बाबत् एक वाद पेश किया जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.07.2006 को डिक्री कर दिया गया। उक्त निर्णय/डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रथम अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में की गई उक्त अपील को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2009 को खारिज फरमाया गया। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 ने द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर (राज0) में पेश की गई। अपील विचाराधीन रहते हुए प्रकरण में पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर संलग्न तस्दीकशुदा राजीनामा के साथ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.07.2006 एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2009 को अपास्त करते हुए मूल पत्रावली इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित करते हुए निर्देश दिये की परीक्षण न्यायालय पक्षकारों के मध्य मूलवाद का अन्तिम निर्णय प्रस्तुत राजीनामा अनुसार एवं सभी संबंधित दस्तावेजों के आधार पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसंगत निर्णय पारित करायें।

पत्रावली को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षकारों को तलब किया गया उभयपक्षकारान वादीगण कायम मुकाम व प्रतिवादी सं. 1 दिनांक 29.09.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा होना स्वीकार किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर न्यायालय तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 135 (2) के तहत बाद जांच पारित निर्णय दिनांक 18.03.1999 से वाद वर्णित आराजी के मृतक खातेदार मांगीलाल आत्मज सीताराम जाति मीना के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में मृतक की बेवा तस्वीर बाई एवं प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पिता मु0 मांगीलाल को वारिसान घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में जगदीश को मांगीलाल द्वारा गोद लिया गया था इस तथ्य को ना तो नकारा जा सकता है और न ही नजर अंदाज किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध मूल खातेदार मृतक मांगीलाल आत्मज सीताराम का शोक–संदेश व पांच रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिखित गोद नामा की छायाप्रतियों से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश को मांगीलाल द्वारा गोद लिया गया। वर्तमान में तस्वीर बाई फौत हो चुकी है तथा वादीगण कायम मुकामान व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत तस्दीक शुदा राजीनामा मय शपथ–पत्र अनुसार वादीनी के कायम मुकामान भाई–बहिन यानि कि जगदीश के मामा, मौसी हैं। उक्त कायम मुकामान वाद वर्णित आराजी में से किसी तरह का हिस्सा नहीं चाहते। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में उक्त सम्पूर्ण भूमि का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश के नाम पर दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट

उपखण्ड अधिकारी
इन्द्रगढ़ (बूंदी)

Scanned with CamScanner

[illegible] की गई। उक्त तथ्यों एवं राजीनामा अनुसार वाद वर्णित आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पिसरान मु0 मांगीलाल न्यायहित में खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 236 रकबा 0.02 हैक्ट0, खसरा सं. 237 रकबा 1.38 हैक्ट., खसरा सं. 252 रकबा 0.02 हैक्ट., खसरा सं. 253 रकबा 0.26 हैक्ट., खसरा सं. 255 रकबा 0.31 हैक्ट., खसरा संख्या 825 रकबा 1.24 हैक्ट0, किता 6 कुल योग रकबा 3.23 हैक्ट0 ग्राम पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी मृतक तस्वीर बाई पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पिसरान मु0 मांगीलाल जाति मीणा निवासी पाली को कृषक खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार आराजी खसरा सं. 233 रकबा 0.14 हैक्ट., खसरा सं. 234 रकबा 0.19 हैक्ट., खसरा सं. 235 रकबा 0.09 हैक्ट., खसरा सं. 257 रकबा 0.15 हैक्ट., खसरा सं. 278 रकबा 0.09 हैक्ट., खसरा सं. 281 रकबा 0.20 हैक्ट., खसरा सं. 317 रकबा 0.31 हैक्ट., खसरा सं. 875 रकबा 0.15 हैक्ट., खसरा सं. 876 रकबा 1.20 हैक्ट., खसरा स. 881 रकबा 0.09 हैक्ट., खसरा सं. 882 रकबा 0.32 हैक्ट., किता 11 कुल योग रकबा 2.93 हैक्ट., ग्राम पाली तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैर खातेदार वादीनी मृतक तस्वीर बाई पत्नी मांगीलाल का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पिसरान मु0 मांगीलाल जाति मीणा निवासी पाली ~~[illegible]~~ का नाम गैरखातेदार कृषक के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार इन्द्रगढ़ को दिये जाते हैं। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद तकतील दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.......................... मुकाम..........................लाखेरी.................. व

इजलास...............श्री रामकुमार वर्मा (आर. ए. एस.)..

1 तस्वीर बाई बेवा श्री मांगीलाल जाति मीणा निवासी तह० इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज० जरिये मुख्तार खास बजरंग लाल जा० श्री भैरूलाल जा० मीणा नि० माखीदा तह० इन्द्रगढ़ जि०बून्दी राज० मृतक तस्वीर बाई कायम मुकाम।

1/1 महावीर पुत्र बजरंग लाल

1/2 रामस्वरूप पुत्र बजरंग लाल

1/3 कैलाशी पुत्री बजरंग लाल पत्नी राजमल

समस्त जातिगण मीणा नि० माखीदा तह०इन्द्रगढ़, बून्दी

(वादी)

बनाम 1 जगदीश पि०मु० मांगीलाल [illegible] जाति मीणा निवासी पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज०

2. राज. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज०

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 88,89, 188 आर०टी०एक्ट।........

.... सन .... तक

मुकदमा नम्बर........................16 / दावा / 2022.. व डिफेन्डेन्ट

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.................................... हस्बे..

1.श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट(वादी).. मिनजानिब मुदई.......................................

....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 236 रकबा 0.02 हैक्ट०, खसरा सं. 237 रकबा 1.38 हैक्ट., खसरा सं. 252 रकबा 0.02 हैक्ट., खसरा सं. 253 रकबा 0.28 हैक्ट., खसरा सं. 255 रकबा 0.31 हैक्ट., खसरा संख्या 825 रकबा 1.24 हैक्ट०, किता 6 कुल योग रकबा 3.23 हैक्ट० ग्राम पाली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी मृतक तस्वीर बाई पत्नी स्वर्गीय मांगीलाल का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पिसरान मु० मांगीलाल जाति मीणा निवासी पाली को कृषक खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार आराजी खसरा सं. 233 रकबा 0.14 हैक्ट., खसरा सं. 234 रकबा 0.13 हैक्ट., खसरा सं. 235 रकबा 0.09 हैक्ट., खसरा सं. 257 रकबा 0.15 हैक्ट., खसरा सं. 278 रकबा 0.09 हैक्ट., खसरा सं. 281 रकबा 0.20 हैक्ट., खसरा सं. 317 रकबा 0.31 हैक्ट., खसरा सं. 875 रकबा 0.15 हैक्ट., खसरा सं. 878 रकबा 1.20 हैक्ट., खसरा सं. 881 रकबा 0.09 हैक्ट., खसरा सं. 882 रकबा 0.32 हैक्ट., किता 11 कुल योग रकबा 2.93 हैक्ट., ग्राम पाली तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गैर खातेदार वादीनी मृतक तस्वीर बाई पत्नी मांगीलाल का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पिसरान मु० मांगीलाल जाति मीणा निवासी पाली का नाम गैरखातेदार कृषक के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार इन्द्रगढ़ को दिये जाते हैं।.......................................मिन.......................

.... खर्चा इन मुकदमें के मय सूद बशरह ....

....बाबत......................

_मुबलिग.. का अदा करें।

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... को जारी की गई।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06......माह......07........ सन 2023.......................

दस्तखत

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालेह	रुपया	पैसे
1 स्टाम्प अर्जीदावा			1 स्टाम्प अर्जीदावा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अर्जी		
3 स्टाम्प दस्ता[illegible]			3 महन्ताना वकील		
4 महन्ताना वकील			4 खर्चा गवाहान		
5 खर्चा गवाहान			5 फीस कमिश्नर		
6 फीस कमिश्नर			6 तलब इजराय हुक्मनामा		
7 तलब इजराय हुक्मनामा			7 मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के कालम पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

[illegible] (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner